

न्यायालय मुख्य अग्निशमन

अधिकारी आगरा।

क्रमांक सीएफओ अ.सु-85/07(अलीगढ़)

दिनांक: अप्रैल 29, 2020

सूचनाक नगर नियोजक
अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
अलीगढ़।

विषय: केन्द्रीय विद्यालय आइटीआई रोड, अलीगढ़ मवन के अग्नि सुरक्षा विषयक अनापत्ति प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में।

संदर्भ: आपका पत्र संख्या 3908/नियोजित/2007-08 दिनांक 07.02.2008 एवं प्रधानाचार्य केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़ के पत्र संख्या एफ-18/कवीए/2008/780 दिनांक 31.03.2008 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की खासगीत लेखनक की रिट याचिका संख्या 5896(एमवी)/2008 में पारित दिशा निर्देश।

कृपया अपने एक प्रधानाचार्य केन्द्रीय विद्यालय अलीगढ़ के उपरोक्त संदर्भित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके सम्बन्ध में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.03.2008 के द्वारा उठायी गयी आपत्तियों का निराकरण सम्बन्धित द्वारा पूर्ण करके उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से मानचित्र पुनः प्रेषित किये गये। उपरोक्त विषयक प्रस्तावित मवन के निर्माण हेतु पुनः प्रेषित मानचित्रों का अवलोकन/परीक्षण किया तथा इस सम्बन्ध में मवनमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ होम एफयर्स के पत्रांक 24-2/2004-एनडीएमआई दिनांक 30.08.04 के साथ मवन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित आ.सं-14435-1997 द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में परिसरों का निर्माण/संरचनाओं के सम्बन्ध में निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराया जाना अनिवार्य है।

(अ) निम्नलिखित तल कवर्ड परिया 37536 वर्ग मीटर है।

2. मूल कवर्ड परिया 1984.96 वर्ग मीटर
3. प्रथम तल कवर्ड परिया 1880.97 वर्ग मीटर

(ब) आवासीय टाइप-III
1. मूल कवर्ड परिया 114.88 वर्ग मीटर
5. प्रथम तल कवर्ड परिया 114.88 वर्ग मीटर

(स) आवासीय टाइप-IV
6. मूल कवर्ड परिया 153.75 वर्ग मीटर
7. प्रथम तल कवर्ड परिया 135.40 वर्ग मीटर

(द) आवासीय टाइप-IV
8. मूल कवर्ड परिया 95.65 वर्ग मीटर
9. मूल का कुल कवर्ड परिया 2349.44 वर्ग मीटर
10. प्रथम तल का कुल कवर्ड परिया 2191.28 वर्ग मीटर
11. कुल कवर्ड परिया 4460.39 वर्ग मीटर
12. प्रेषित मानचित्रों में मवन के चारों ओर दर्शाये गये लैंड बैंक को सदैव खुला उपलब्ध रखा जाना आवश्यक है।

इसमें किसी प्रकार का अवरोध एवं निर्माण कार्य नहीं होगा।
अग्नि सुरक्षा विषयक मुख्य-मुख्य निम्न प्रकार प्रस्तावित किये जा रहे हैं-

1. मवन में 20,000 लीटर क्षमता का टैरिस टैंक की व्यवस्था।
2. स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 लीटर क्षमता के भूमिगत टैंक की व्यवस्था।
3. मवन के टैरिस पर 450 एम्एम क्षमता के टैरिस पम्प का प्राविधान।
4. मवन में स्टेयरकेस के समीप 100 एम्एम साइज के एम्एम पाइप के लाइनकमर जिसमें 83एम्एम के लैंड वाल्व नय होज पाइप ब्रॉच की व्यवस्था की जाये तथा लाइनकमर को टैरिस पम्प से सम्बद्ध किया जाये।
5. मवन में दर्शाये गये स्टेयरकेसों की संयुक्त कंवेसिटी मवन के कुल अक्षरों के अधिकतम अनुमति विक्षमण अवधि के सावधानी से।
6. मवन के प्रत्येक तल पर मवन के अनुसार स्टेयरकेस के समीप 30 मीटर लम्बी आउटलेट आई गार्ड होज की नय "शटआफ नाजूल" की व्यवस्था।

7. भवन में फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान ।
8. भवन में समस्त कारीडोरों, निकास मार्गों की प्रकाश व्यवस्था एवं फायर पर्म्पा हेतु वैकल्पिक विद्युत् स्रोत(जनरेटर)का प्राविधान ।
9. भवन के जनरेटर रूम हेतु 50 किग्रा क्षमता के फोम ट्राली की व्यवस्था ।
10. भवन के प्रत्येक तल पर विद्युत् पैनल के लिए सीओडू टाइप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्राम के 02 अदद तथा प्रति 50वर्गमीटर क्षेत्रफल पर फायर एक्सटिंग्यूशर एबीसी क्षमता 05 किग्राम के 01अदद व 01अदद बकेट क्षमता 9लीटर (गोल पेदे वाली)- 04 अदद तथा प्रत्येक तल हेतु एबीसी फायर एक्स 0.5 किग्राम के 02अदद अतिरिक्त का प्राविधान कराया जाय ।
11. भवन के प्रत्येक ऐसे कक्ष जिनकी क्षमता 45 छात्रों से अधिक हो, हेतु न्यूनतम 02 दरवाजे उपलब्ध कराये जाए ।
12. भवन के प्रत्येक तल पर न्यूनतम 02 अदद स्वतंत्र निकास मार्ग उपलब्ध कराये जाए, जहाँ तक सम्भव हो एक दूसरे के विपरीत दिशा में अधिकतम दूरी पर रखे जाए ।
13. स्कूल के कारीडोर अथवा कक्षों को " डेड एण्ड " जहाँ से एक ही निकास मार्ग एक ही दिशा में उपलब्ध हो कदापि न रखा जाय ।

अतः उपरोक्त शर्तों के साथ यह अनुबन्धात्मक प्राविधान, अनापत्ति प्राप्त पत्र इस शर्त के साथ निर्मित किया जाता है, कि उक्त अग्निशमन व्यवस्थाएँ उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 के अन्तर्गत बनी उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमवली 2005 के द्वारा अधिग्रहीत जेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया के अनुसार प्रस्तावित की गयी हैं, जिन्हें भवन तैयारी के योग से पूर्व सम्पादित कराकर अग्निशमन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निरीक्षणोपरान्त अन्तिम रूप से अनापत्ति प्राप्त पत्र प्राप्त करना बृहद, जनहित में अनिवार्य होगा ।

(के0के0अग्निशमन)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

- प्रतिलिपि: 1 प्रधानाचार्य, केंद्रीय विद्यालय आइटी/आईआईटी रोड, अलीगढ़ को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2 अग्निशमन अधिकारी, अलीगढ़ को सूचित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(के0के0अग्निशमन)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
आगरा ।